R 2396-II/14

(3)

1. राजमणि सिंह तनय श्री रामसिया सिंह,

2. शिव शंकर सिंह तनय श्री रामसिया सिंह,

दोनों निवासी ग्राम टिकुरी, तहसील कोटर, जिला सतनाम.प्र.--निग. गण

श्री विजय कुमार मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 22-07-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1. शासन म. प्र. द्वारा अरक्षित राजस्व निरीक्षक,

2. श्यामसुन्दर सिंह तनय श्री सुदर्शन सिंह निवासी टिकुरी, तह. कोटर, जिला सतना (म. प्र.) --- --गैर निग. गण

निगरानी विरूद्ध आदेश दि0 7.6.2014 राजस्व प्रक. क्रं. 50अ12/13-014 न्यायालय तहसीलदार तहसील कोटर जिला सतनाम.प्र.।

क्रमांक 2399 ~~रजिस्ट्रार बोर्ड~~ द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र. भू.रा. संहिता ।

28-5-2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील कोटर जिला सतना के प्रकरण कमांक 50/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 7-6-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के साथ संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा सीमावर्ती कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं तहसीलदार के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7-6-2014 को उक्त सीमांकन की पुष्टि की है। जहां तक आवेदकों के तर्क का प्रश्न है कि उन्हें सूचना नहीं दी गई। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सीमांकित भूमि से लगी भूमियों के सरहदी के रूप में आवेदकगण का नाम कोई भूमि नहीं है। आवेदकगण उक्त सीमांकन से किस प्रकार व्यथित हैं, दर्शाने में नाकाम रहे हैं। आवेदकगण इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं यह भी स्पष्ट नहीं कर सके। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य